राजस्थान विधान सभा

पंचम सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1. श्री पदमसिंह राठौड - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा
2. श्री रविशंकर याज्ञिक - पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1. श्री राजेन्द्र राठौड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखेंगे।
2. श्री प्रभूलाल सैनी, कृषि मंत्री राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में दिनांक 24.4.2013 को किये गये संशोधन की अनुपालना में उक्त अधिनियम की धारा 54(14) के अंतर्गत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखेंगे ।
3. श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री सडक परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे।
4. श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34(3)(का) के अंतर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।
5. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), पर्यटन राज्य मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अंतर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलॅपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखेंगी।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे:-

1. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 57वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 58वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.6, 2.3.1, वित्त विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.4.9 वित्त, पैंशन एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 59वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.4.3, माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 60वां प्रतिवेदन।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.5 एवं 3.4.6 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 61वां प्रतिवेदन।
6. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 62वां प्रतिवेदन।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.1 पर्यावरण विभाग, अनुच्छेद संख्या 3.1.2 एवं वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.1.2 तथा 2.4.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.1, 3.1.1 एवं 3.3.2 जल संसाधान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 64वां प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2003-04 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 210वें प्रतिवेदन में देवस्थान विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 65वां प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 180वें प्रतिवेदन में आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 66वां प्रतिवेदन।
11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.3 उद्योग विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 67वां प्रतिवेदन।

(II) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सभापति, याचिका समिति, 2015-2016 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(III) श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2015-2016 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

5. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि-

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

6. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015

(I) श्री कालीचरण, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-25)	"राजस्थान राज्य में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(II) महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक,2015

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-26)	"राजस्थान राज्य में महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

<u>(III) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015</u>

(I) श्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-34)

"नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

<u>(IV) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015</u>

(I) श्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-27)

"राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 16 सितम्बर, 2015